

प्रेषक,

संजीव सरन,

अपर मुख्य सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2018

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.1.6 "रिक्रूटमेंट सहायता" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या- 5.1.6 "रिक्रूटमेंट सहायता" में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

5.1.6 रिक्रूटमेंट सहायता

संभाग 2 (IIT-III) और संभाग 3 (IIT-III) नगरों में जयसंयत सूचना प्रौद्योगिकी/सू०प्रौ० जनित सेवा क्षेत्र की इकाइयों को उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती हेतु रु 20,000 प्रति कर्मों की दर से (न्यूनतम 6 माह तक निरन्तर रोजगार की दशा में) रिक्रूटमेंट सहायता

3- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को रिक्रूटमेंट सहायता प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

3.1 आच्छादन

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

3.2 परिभाषाएँ

एतद्द्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार

3.3 प्रोत्साहन का विवरण

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाइयां जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से न्यूनतम 50 नये सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.एम. पेशेवरों की वार्षिक भरती की गई हो और जो निरन्तर 6 माह तक रोजगार में रहे हों के लिए रिक्रूटमेंट सहायता अनुमन्य होगी।

3.3.2 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.3.3 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें रिक्रूटमेंट सहायता की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.4 प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया

3.4.1 आवेदक इकाई द्वारा आवेदन पत्र कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.4.2 इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालयों से भर्ती किये गये नये सूचना प्रौद्योगिकी-बी.पी.एम. पेशवरों कर्मियों का विवरण, सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति सहित उपलब्ध कराना होगा।

3.4.3 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.4.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि अनुमन्य कराने का सम्बन्ध न अपना सक्तुगत उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.4.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

3.4.6 यह सहायता इकाई को प्रत्येक विगत वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों की भर्ती हेतु रिक्रूटमेंट सहायता के रूप में अनुमन्य होगी तथा रिक्रूटमेंट सहायता हेतु इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, 01 अप्रैल से 30 जून की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

3.5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.6 व्यय भार

रिक्रूटमेंट सहायता धनराशि के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय स्टैम्प शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

3.7 कर्मचारी रिस्कटमेंट सहायता पर अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

भवेदीय,

(संजीव सरन)


अपर मुख्य सचिव

संख्या 13 9(1)/78-1-2018 तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन ।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- अपर मुख्य सचिव, श्रम विभा 1, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 8- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 9- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
- 11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०, श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।

आज्ञा से,



(राज बहादुर)

उप सचिव